



राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

क्रमांक : ले.वि. / AG.Audit / 2025 /

दिनांक :

संलग्न सूचीनुसार,

विषय :- महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की वर्षवार अनुपालना की अद्यतन स्थिति बाबत।

संदर्भ :- क्रमांक प.1(3)उ.शि.गुप-5 / 2024 दिनांक 31.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदन 2006-08 से 2018-20 तक के संलग्न सूचीनुसार आक्षेपों आप द्वारा प्रेषित अनुपालनाएँ महालेखाकार जांच दल द्वारा कमियाँ बताते हुए एवं आक्षेपों से संबंधित प्रमुख दस्तावेजों की प्रति संलग्न न होने के कारण लौटा दी गई है। जांच दल द्वारा आक्षेपों की बिन्दुवार अनुपालनाओं की अद्यतन स्थिति चाही गई है साथ ही संदर्भित पत्र अनुसार संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (गुप-5) विभाग, राज. सरकार द्वारा भी महालेखाकार, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एवं निरीक्षण विभाग के जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है एवं निस्तारण की कार्यवाही कर एक सप्ताह में रिपोर्ट चाही गई है।

महालेखाकार जांच दल द्वारा वर्तमान में विश्वविद्यालय के लेखों की जांच की जा रही है। अतः ठोस अनुपालना अविलम्ब दो प्रतियों में मय दस्तावेज भिजवायें ताकि आक्षेप निरस्त करवाये जा सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

— Sd —

वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

दिनांक : 12/02/2025

क्रमांक : ले.वि. / AG.Audit / 2025 / 1185-88

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव / वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति / कुलसचिव / वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- ✓ 2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

[Signature]
उप-कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.1(3) उ.शि.ग्रुप-5/2024

जयपुर दिनांक:

कुलसचिव/आयुक्त,

महर्षि दयानन्द सरस्वती वि.वि., अजमेर/मोहन लाल सुखाडिया वि.वि., उदयपुर/
कोटा वि.वि., कोटा/वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा/महाराजा गंगासिंह
विश्वविद्यालय, बीकानेर/पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावार्दी वि.वि., सीकर/
महाराजा सूरजमल बृज वि.वि., भरतपुर/राज रिपी भर्तृहरि मत्स्य वि.वि., अलवर/
गोविन्द गुरु जनजातीय वि.वि., बासवाडा/नेशल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर।

**विषय:- महालेखाकार, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एवं निरीक्षण विभाग के
जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों के निस्तारण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभागीय तृतीय ऑडिट कमेटी दिनांक 23.12.2024 में दिये गये निर्देशनुसार आपके विभाग के संबंधित बकाया आक्षेपों की अनुपालना भिजवाते हुये एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कर आक्षेपों के निस्तारण की कार्यवाही कर प्रगति रिपोर्ट विभाग को भिजवाया जाना अपेक्षित था, किन्तु एक माह व्यतीत होने के उपरान्त आक्षेप निस्तारण की सूचना विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसे शासन सचिव महोदय द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि महालेखाकार, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एवं निरीक्षण विभाग में अनुपालनार्थ प्रेषित कर एवं सम्पर्क कर निस्तारण की कार्यवाही की जाकर नवीनतम रिपोर्ट एक सप्ताह में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ. हरि शंकर मेवाडा)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally Signed by HARI
SHANKAR MEWARA
Designation : Joint Secretary
Date : 31-01-2025 02:28:33

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

महालेखाकार के बकाया पैराज की विभागावार स्थिति :-

[illegible]

वर्ष	2018-20	2016-18		2014-16		2013-14		2012-13		2011-12		2010-11		2009-10		2008-09		2006-08	
विभाग का नाम	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब
13 महाराजा कॉलेज	—	—	16	—	2,4(1), 24,65	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 महारानी कॉलेज	—	—	17, 26(ब)	—	65	—	2(अ),19	—	9(1)	—	—	—	6 अ	—	—	—	—	—	—
15 रसायन शास्त्र	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 USIC	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 परीक्षा नियंत्रक	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—
18 खेल बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 CDC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 गेस्ट हाउस	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 भूगोल विभाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 सी.सी.टी.	—	—	—	—	—	—	2(ब),5,1 9,21,34,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 आर.ए. पोद्दार	12(ब),15(ब),23(अ)	—	—	—	8,40(2) 41(2), 46,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 लॉ कॉलेज-I	11,15(अ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 DSW	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 शोध अनुभाग	—	—	—	—	—	—	41(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 CDPE	15(ब)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 लॉ कॉलेज II	12(अ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 5 वर्षीय लॉ कॉलेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 UCCSI	12(ब),15(ब),23(अ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 प्रस	—	—	—	—	—	—	11,39	—	—	—	14(स)	—	—	—	—	—	3(अ)	—	—

[illegible]